न्यायालय– विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, द्वितीय पटना।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–3862/25
पीरबहोर थाना कांड संख्या–626/2025

17.09.2025

आवेदक अभियुक्त **रवि कुमार आर्या, पिता–प्रकाश साह** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से संचालित किया गया है। सुना।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास अंकित नहीं है। आवेदक का नाम इस वाद में गलत तरीके से लाया गया है। आवेदक का इस कांड में कोई संलिप्तता नहीं है। इस वाद में पकड़ाये अभियुक्त से पैसा को लकर विवाद चल रहा है इस कारण अभियुक्त का नाम इस वाद में आया है। आवेदक विद्यार्थी है जो पटना में रहकर पढ़ाई करता है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। उन्होने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध बिहार उत्पाद एवं मद्यनिषेध अधिनियम की धारा 30(a) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल जब निशानदेही स्थल पर पहुॅची तो पुलिस बल को देखकर एक साईकिल सवार अपना साईकिल एवं बैग को छोड़कर भागने लगा जिसे पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम साह मोनु बताया। पुलिस बल द्वारा उक्त बैग की तलाशी लेने पर **कुल 09 लीटर विदेशी शराब** की बरामदगी की बात कही जाती है। पकड़ाये व्यक्ति से पुलिस बल द्वारा पुछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसे तथा उसका भाई साह रानू एवं रवि कुमार को सुरज कुमार के द्वारा शराब बेचने के लिए दिया जाता है। वे चारो लोग मिलकर शराब का कारोबार करते है। बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है। अतः चूंकि आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है। इसलिए आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत आवेदन को पोषणीय नहीं होने के कारण **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

ह0
विशेष न्यायाधीश, उत्पाद द्वितीय,